भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.-33002/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] No. 691 दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 11, 2002/चैत्र 21, 1924 DELHI, THURSDAY, APRIL 11, 2002/CHAITRA 21, 1924 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 82 [N.C.T.D. No. 82

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2002

पृष्ठांकन सं. 10461/सं. 46/नियम/डी. एच. सी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम) की धारा 7, सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 122 तथा 129, द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय एतद्द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 1967 में निम्नांकित संशोधन करता है :—

दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 1967 के अध्याय 1 के शीर्षक ''कार्य समय'' के नीचे विद्यमान नियम 12 के शब्द ''कोई भी आवश्यक मामला जो 12.30 अपराह से पहलें दाखिल किया जाएगा, को आगामी कार्य दिवस को न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा'' निम्नांकित शब्दावली द्वारा प्रतिस्थापित होंगे :—

''कोई भी आवश्यक मामला जो 12.00 मध्याह से पूर्व दाखिल किया जाएगा उसे आगामी कार्य दिवस को न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा परन्तु उसके बाद भी असाधारण मामले माननीय प्रभारी न्यायाधीश (मूल पक्ष) की विशेष अनुमित से आगामी दिन सुनवाई हेतु प्राप्त किया जा सकते हैं।''

यह संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

HIGH COURT OF DELHI

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th April, 2002

Endst. No. 10461/No. 46/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act of 1966) read with Sections 122 and 129 of the Code of Civil Procedure, 1908 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi hereby makes the following amendments in the Delhi High Court (Original side) Rules, 1967:—

In the existing rule 12 of the Chapter 1, Delhi High Court (Original Side) Rules, 1967 under the heading

"Office hours" the words, "Any urgent matter filed before 12.30 P.M. shall be put up before the Court on the following working day" shall stand substituted by the following words:—

"Any urgent matter filed before 12 noon shall be put up before the Court for hearing on the following working day. In exceptional cases, it may be received thereafter for hearing on the following day with the specific permission of the Hon'ble Judge-in-Charge (Original Side)."

This amendment shall come into force with immediate effect.

पृष्ठांकन सं. 10462/सं. 47/नियम/डी. एच. सी.—सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 122 एवं 129 के साथ पठित, दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों तथा इस निमित्त समर्थ करने वाली अन्य सभी शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, जिल्द 5 में निम्न संशोधन करता है:—

- 1. न्यायालय के एकल न्यायाधीश एवं खंड पीठों की अधिकारिता के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश जिल्द V के अध्याय 3 के भाग 'बी' के वर्तमान उप-नियम (xviii) (ए) के खंड (i) के स्थान पर निम्निलिखत प्रतिस्थापित किया जायेगा :—
 - ''(i) याचिकाएं जिनमें अधिनियमों अथवा वैधानिक नियमों, विनियमों अथवा उप-नियमों को चुनौती दी जाती है।''
- 2. दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश जिल्द V के अध्याय 3 के भाग-बी के उप-नियम (xviii) (ए) के खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—
 - ''(vi) निविदाओं के पंचाट से संबंधित याचिकाएं।
 - (vii) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित याचिकाएं।
 - (viii) संघ के सशस्त्र बलों के सेवा मामलों से संबंधित याचिकाएं।
 - (ix) भूमि अर्जन से उत्पन्न होने वाली याचिकाएं।
 - (x) उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक पक्ष पर पारित आदेशों से संबंधित याचिकाएं।"
- 3. दिल्ली नियम एवं आदेश जिल्द V के अध्याय 3 के भाग-बी के उपरोक्त उप-नियम (xviii) (ए) के नीचे दिया गया वर्तमान स्पष्टीकरण, परिणासस्वरूप संशोधित किया जाकर निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

''स्पष्टीकरण:—उपरोक्त उपनियम (xviii) (ए) के खंड (i) से (x) में वर्णित मामलों से संबंधित प्रार्थना पत्रों एवं याचिकाओं को ग्रहण करने तथा अंतिम निपटारा हेतु प्रारंभिक सुनवाई तथापि, दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष अथवा खंडपीठ के पीठासीन न होने की स्थिति में एकल पीठ के समक्ष होगी।''

4. उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश जिल्द V के अध्याय-1 के भाग ए. (बी) के नियम-1 के वर्तमान शीर्षक ''अति आवश्यक याचिकाएं व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जाएं '' सिहत तृतीय पैराग्राफ संशोधित किया जाकर निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

अपीलों, याचिकाओं एवं प्रार्थना-पत्रों इत्यादि जिनके साथ उनके अतिआवश्यक के रूप में माने जाने हेतु प्रार्थना पत्र संलग्न हैं, को फाइलिंग काउंटर पर केवल दोपहर 12.00 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। परन्तु अपवाद स्वरूप मामलों में उपरोक्त को माननीय मुख्य-न्यायाधीश की विशिष्ट अनुमित से उक्त नियत समय के बाद भी अगले दिन सुनवाई हेतु स्वीकार किया जा सकेगा।

उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार

ह./-

भारत भूषण, महा-निबंधक

Endst. No. 10462/No. 47/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act of 1966) read with Sections 122 and 129 of the Code of Civil Procedure, 1908 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi hereby makes the following amendments in the High Court Rules and Order, Volume V:—

1. The following shall be substituted for the existing Cluause (i) of sub-rule (xviii) (a) of Part B of Chapter 3 of

the High Court Rules and Orders, Volume V. pertaining to jurisdiction of Single Judge and of Benches of the Court:—

- "(i) Petitions where vires of Acts or of statutory rules, regulations or bye-laws are challenged."
- 2. The following Clauses shall be added after Clause (v) of sub-rule (xviii)(a) of Part B of Chapter 3 of the High Court Rules and Orders, Volume V:—
 - "(vi) Petitions pertaining to the award of Tenders.
 - (vii) Petitions relating to Co-operative Societies.
 - (viii) Petitions being service matters of Armed Forces of the Union.
 - (ix) Petitions arising out of Land Acquisition.
 - (x) Petitions concerning orders passed by the High Court on the administrative side."
- 3. The Explanation below, the above sub-rule (xviii)(a) of Part B of Chapter 3 of the High Court rules and Orders, Volume V, shall consequently stand amended and substituted by the following:—

"Explanation—The preliminary hearing for admission and final disposal of applications and petitions pertaining to matters mentioned in Clause (i) to (x) of sub-rule (xviii) (a) above shall however be before a Bench of two judges and before a Single Bench when there is no sitting of Division Bench."

- 4. The existing third paragraph of Rule 1, Part A(b) of Chapter 1, High Court Rules and Orders, Vol. V with the heading "Urgent petition to be presented personally" shall stand amended and substituted by the following:—
 - "Appeals, petitions and applications etc. accompanied by a petition to treat the same as urgent, shall be received at the Filing Counter only upto 12 noon. In exceptional cases, these may be received thereafter for hearing on the following day with the specific permission of Hon'ble the Chief Justice."

These amendments shall come into force with immediate effect.

By order of the Court

Sd/-

BHARAT BHUSHAN, Registrar General

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिस्चना

सं. 21(1)(5)/2002/वि.स.स.-॥/टीओ/17176.—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :-

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2002

(विधेयक संख्या 5)

वर्ष 2002-2003 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए विधेयक।

इसे भारतीय संविधान के 53वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

- 1. संक्षिप्त शीर्षक: इस अधिनियम को विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2002 कहा जाए।
- 2. 9496,23,00,000/- रुपयों का वर्ष 2002-2003 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राश जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए नौ हजार चार सौ छियानवें करोड़ तेइस लाख रुपयों की कुल राश के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के संबंध में वर्ष 2002-2003 की अविध के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।
- 3. विनियोजन : इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जाएगी।